

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास श्रीमती बीनू देवल
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़

1. माधुलाल गोदपुत्र पृथ्वीराज गुर्जर नि. मायरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
-वादी

बनाम

1. नारायण लाल पिता चतुर्भुज गुर्जर नि. भुगडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. चतुर्भुज पिता किशना गुर्जर नि. भुगडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या 74/2018 (GCMS 2018/00281)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम सबूत में खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज
दिनांक 07.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)